भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1042
(03 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन

1042. श्री डी0 पी0 त्रिपाठी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन शुरू किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि युवाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा; और
(घ) यदि हां, तो इस मिशन के अंतर्गत लाभान्वित युवाओं की संख्या क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रदीप जैन ' आदित्य')

(क) और (ख) : जी, हाँ । मंत्रालय ने वर्ष 1999 से कार्यान्वित पूर्ववर्ती स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को पूनर्गठित कर एवं नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया है ताकि इसे लक्षित एवं समयबद्ध ढंग से परिणाम हासिल करने के लिए चरणबद्ध ढंग से मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा सके । इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्राप्त कराने में समर्थ बनाकर गरीबी का उपशमन करना है । इससे निचले स्तर की संस्थाओं को सुदृढ़ एवं स्थायी बनाकर उनकी आजीविका में स्थायी आधार पर सराहनीय सुधार होना चाहिए । एनआरएलएम की मुख्य विशेषताएं (क) प्रत्येक निर्धारित ग्रामीण गरीब परिवार से कम से कम एक सदस्य विशेषकर महिला सदस्य को समयबद्ध ढंग से स्वसहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क के अंतर्गत लाना होता है जिसका अंतिम लक्ष्य बीपीएल परिवारों को पूर्ण कवरेज हासिल करना है (ख) विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वसहायता समूहों एवं उनके परिसंघों और उत्पादक समूहों के रूप में गरीबों की सुदृढ़ संस्था स्थापित करना (ग) लक्षित परिवारों, स्वसहायता समूहों, उनके परिसंघों, सरकारी कर्मियों, बैंकरों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य मुख्य स्टेकहोल्डरों की सतत क्षमता निर्माण के लिए बहुसूत्रीय कार्यनीति की संकल्पना की गई, (घ) ऋण संबंधी अपनी आवश्यकताओं को दीर्घ काल और उपभोग संबंधी तात्कालिक आवश्यकताओं को अल्प समय में पूरा करने के लिए अपनी निधियों की बचत एवं संचय की आदत विकसित करने के लिए परिक्रमी निधि के रूप में सब्सिडी और प्रोत्साहन के रूप में पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध होगी (ङ) सभी गरीब परिवारों, स्वसहायता समूहों एवं उनके परिसंघों का सर्वव्यापी वित्तीय समावेश (च) सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए एनआरएलएम के अंतर्गत सभी पात्र स्वसहायता समूहों, जिन्होंने समय पर

ऋण उदायगी के आधार पर मुख्य धारा की वित्तीय संस्थओं से ऋण लिया हो, के लिए 7 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक ब्याज पर सब्सिडी का प्रावधान है (छ) मौजूदा आजीविका को स्थायी एवं विकसित करने पर ध्यान देना और बाद में उन्हें विविध रूप देना (ज) साझेदारी मोड के जरिए कौशल उन्नयन एवं नियोजन परियोजनाएं संचालित करना (झ) सरकार के अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल को बढ़ावा देना है एनआरएलएम एक मांग आधारित कार्यक्रम है और राज्य अपनी गरीब उपशमन कार्ययोजनाएं बनाते हैं ।

एनआरएलएम के अंतर्गत लक्ष्य महिला लाभार्थियों के लिए 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए 50 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत और विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत है ।

(ग) और (घ) : जी, हाँ । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नियोजन संबद्ध कौशल विकास घटक के अंतर्गत सरकार ग्रामीण बीपीएल युवाओं को नियोजन संबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है । इस योजना के अंतर्गत अन्य के साथ-साथ लाभ एवं अलाभ के लिए निजी कंपिनयां एवं गैर-सरकारी कंपनियां संबंधित राज्य सरकार के जरिए इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पात्र हैं । एसजीएसवाई/एनआरएलएम के अंतर्गत "नियोजन संबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम" के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की एमआईएस द्वारा दर्शाए गए आँकड़ों के अनुसार अब तक 766095 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है ।

****